कार्यवाही की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25-03-2022	**नागांतरण अपील वाद सं0 18/2020–21** शोभनाथ साव प्रति राम अवध साव **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा अंचल अधिकारी, केतार के नामांतरण वाद सं0 19R27/2019–20 में दिनांक 13.12.2019 को पारित आदेश के विरूद्व अपील वाद दायर किया गया। तद्नुसार उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी केतार से मूल अभिलेख की मांग की गयी। उभय पक्ष के द्वारा अपने–अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर एवं कागजात दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, केतार से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सूना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल केतार मौजा खोन्हर थाना नं0 26 खाता सं0 51 प्लौट सं0 619 रकबा 18.75डी0 चौहदी उत्तर नीज बिक्रेता द0 हाल क्रेता मलुकी साव वगैरह पू0 रामअवध साव प0 नीज बिक्रेता भूमि बिक्रेता रघुनाथ प्रसाद पिता स्व0 केशो साव से केवाला सं0 1184 दिनांक 17.06.2010 से अपीलार्थी ने भूमि क्रय की है। जिसपर प्रत्यर्थी केवाला में पहचानकर्त्ता है, भूमि पर अपीलार्थी का आवासीय मकान है एवं शेष भूमि पर चाहर दिवारी की गयी है इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि पर दखल कब्जा है। हाल सर्वे खतियान के खाता नं0 51पुराना से नया 119 प्लौट सं0 619पुराना से नया 1534, 1535, 1536, 1537, 1538 रकबा क्रमशः 11, 43, 9, 13, 4डी0 बैजनाथ साह पिता सुनिल साह एवं रघुनाथ प्रसाद पिता केशो साह के नाम से बना है। प्रत्यर्थी रामअवध साव द्वारा केवाला सं0 501 दिनांक 09.04.2012 से वाद की भूमि रकबा 11डी0 चौहदी उ0 सुखाडी साव द0 नीज क्रेता पू0 नीज क्रेता प0 शोभनाथ साव वगै0 अंकित है। खरीद कर गलत चौहदी देकर गलत तरीके से नामांतरण करा लिये है। क्योंकि अपीलार्थी के द्वारा खरीदगी केवाला की चौहदी में प0 तरफ बिक्रेता की नीज भूमि बचती है। लेकिन प्रत्यर्थी ने अपने केवाला में चौहदी प0 में अपीलार्थी को दर्शाया गया है जबकि प्रत्यर्थी के जोत की भूमि की सही चौहदी उ0 शिवचन साव वगै0 द0 बांध पू0 शिवचन्द साव प0 मंगरू सिंह है। जिसका गलत पश्चिम चौहदी में मंगरू सिंह की जगह तथा दक्षिण बांध की जगह नीज क्रेता को दर्शाना प्रत्यर्थी के छल का पुख्ता प्रमाण हो जाता है। जिस कारण अपीलार्थी के केवाला के करीब 2 वर्ष पूर्व होने की जानकारी के फलस्वरूप प्रत्यर्थी द्वारा खरीदी भूमि के नाम केवाला की सही चौहदी को छिपाकर गलत केवाला करायें है। हाल सर्वे खतियान के अनुसार अपीलार्थी ने अपनी खरीदगी एवं दखल कब्जे की भूमि की हाल खाता नं0 119 प्लौट सं0 1534, 1535, 1536, 1537 रकबा क्रमशः 3.75, 4, 9, 2डी0 कुल रकबा 18.75डी0 भूमि पर लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अपीलार्थी का आवासीय मकान एवं नवनिर्मित सहित दखल कब्जा है। ऑनलाईन लगान रसीद कटाने हेतु अंचल कार्यालय केतार में आवेदन दिया जिसमें खाता सं0 119 प्लौट सं0 1535, 1536, 1537 रकबा 4, 5, 2डी0 कुल 11डी0 भूमि का ही ऑनलाईन नामांतरण वाद सं0 256/2020–21 के अनुसार लगान रसीद निर्गत किया गया। मेरा 11डी0 भूमि का ही क्यों किया गया तो हल्का कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि राम अवध साव के नाम से प्लौट सं0 1536, 1537, 1538 क्रमशः रकबा 4, 5, 2डी0 कुल 11डी0 भूमि का नामांतरण पहले हो गया है। जबकि अपीलार्थी का प्लौट सं0 1536 1537 रकबा 9, 2डी0 भूमि पर आवासीय मकान स्थित है। जिस कारण अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के नाम नामातरण के प्लौट सं0 1536 रकबा 9डी0 में से 4डी0 का प्रत्यर्थी का नामांतरण खारिज योग्य है। क्योंकि प्रत्यर्थी का सिर्फ प्लौट सं0 1535, 1534 के अंश भाग पर ही दखल कब्जा है। इस लिए प्रत्यर्थी का प्लौट सं0 1536, 1537 की भूमि का नामांतरण बिलकुल ही गलत है। अपील वाद की भूमि का अंचल अमीन केतार के द्वारा भूमि पर स्थल मापी की गई। जिसमें प्रत्यर्थी का अलग चौहदी एवं प्लौट का दखल अलग–अलग बताया गया है। अतः अंचल अधिकारी केतार के नामांतरण वाद सं0 19/2019–20 दिनांक 13.12.2019 को पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय।

प्लौट सं0 संशोधित करने हेतु अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया। जिसमें कथन है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के नाम हुए नामांतरण की भूमि मौजा खोन्हर के खाता सं0 119 प्लौट सं0 1536, 1537, 1538 रकबा 4, 5, 2डी0 के अनुसार दाखिल किया है परन्तु प्लौट सं0 1538 की भूमि से अपीलार्थी को कोई सरोकार नहीं है तथा प्लौट सं0 1537 रकबा 2डी0 भूमि का नामांतरण अपीलार्थी के नाम से नामांतरण वाद सं0 256/2020–21 से हो चुका है। जिस कारण प्लौट सं0 1536 रकबा 9डी0 में 5डी0 का ही अपीलार्थी के नाम नामांतरण हुआ है शेष प्लौट सं0 1536 रकबा 4डी0 का नामांतरण जो प्रत्यर्थी के नाम हुआ है जो गलत है। क्योंकि प्लौट सं0 1536 रकबा 9डी0 की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलार्थी का पुराना एवं नया मकान अवस्थित है तथा अपीलार्थी का पूर्ण रूपेण दखल कब्जा है। अपीलार्थी द्वारा दायर प्लौटो में प्लौट सं0 1537 एवं 1538 की भूमि को छोड़कर प्लौट नं0 1536 रकबा 4डी0 जो प्रत्यर्थी के नाम हुआ है। अपील वाद की भूमि पर ही अपील वाद स्वीकृत करने की कृपा किया जाय। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के ओर से दाखिल कागजात निम्न प्रकार है :–

1. *केवाला सं0 1184 दिनांक 17.06.2010 की छायाप्रति* ..... *6 फर्द*
2. *लगान रसीद की छायाप्रति* ..... *1 फर्द*
3. *सीमांकन प्रतिवेदन की छायाप्रति* ..... *4 फर्द*
4. *अपीलार्थी का मकान का फोटो* ..... *1 फर्द*
5. *अपीलार्थी का नवनिर्मित मकान का फोटो* ..... *1 फर्द*

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी ने गत सर्वे के प्लौट सं0 619 में जिस चौहदी के तहत् भूमि क्रय की है उसका वर्तमान समय में प्लौट सं0 1534 रकबा 11डी0 का बचा है। जो वर्तमान सर्वे के खाता नं0 8 की भूमि है एवं खाताधारी अधोरिका साव है। अधोरिका साव या उनके वारिसानों को अपीलार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है न ही उक्त भूमि की ऑनलाईन अपडेशन हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया है। अपीलार्थी के अपील ज्ञापन के पैरा न0 2 में गत सर्वे के प्लौट नं0 619 की हकियत संबंधी जो तथ्य रघुनाथ साव वो बैजनाथ साव के संबंध में है वही सही है। अपीलार्थी ने रघुनाथ साव से प्लौट सं0 619 में भूमि क्रय की है। यह भी सत्य है एवं केवाला सं0 1184 दिनांक 17.06.2010 द्वारा प्लौट सं0 619 में रकबा 18.75डी0 भूमि की जिस चौहदी के तहत् अपीलार्थी क्रय किए है उसके दखल में है यह भी सत्य है लेकिन वर्तमान सर्वे में अपीलार्थी के दखल कब्जा व चौहदी वाली प्लौट नं0 1534, 1535, 1536, 1537 रकबा 11, 4, 5, 2डी0 की भूमि है जिसमें अपीलार्थी का ऑनलाईन अपडेशन खाता सं0 119 की प्लौट सं0 1535, 1536, 1537 रकबा 4, 5, 2डी0 कुल रकबा 11डी0 का नामांतरण ही गलत है शेष रकबा खाता सं0 8 प्लौट सं0 1534 में अपीलार्थी का है जिस पर अपीलार्थी की ऑनलाईन नामांतरण अपडेशन हेतु आवेदन देनी चाहिए थी लेकिन अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के दखल कब्जा वाली भूमि जिसका अपडेशन नामांतरण वाद सं0 19/2019–20 के द्वारा हुआ है उसके विरूद्व यह अपील दाखिल की है जो सरासर गलत है। गत सर्वे के प्लौट सं0 619 से बना प्लौट सं0 1534 खाता सं0 8 की भूमि जिसके रैयत अधोरिका साव है यह सत्य है कि खाता सं0 119 के रैयत बैजनाथ साव वगैरह है। प्रत्यर्थी ने केवाला सं0 501 दिनांक 11.04.2012 द्वारा गत सर्वे के खाता नं0 619 रकबा 11डी0 भूमि क्रय की थी जिसका नामांतरण ऑनलाईन प्रत्यर्थी के नाम से हो चुका था उसी भूमि का नामांतरण हेतु गत सर्वे के प्लौट के अनुसार खाता सं0 119 प्लौट सं0 1536, 1537, 1538 रकबा 4, 5, 2डी0 जो उक्त प्लौट सं0 का पूर्वी भाग है का आवेदन दिया जिसमें विधिवत छानबीन कर हल्का कर्मचारी ने जॉच प्रतिवेदन दिया एवं दखल कब्जा को देखते हुए प्रत्यर्थी के आावेदन को स्वीकृत किया गया है जिमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। गत सर्वे के प्लौट सं0 619 से वर्तमान सर्वे में 5 नए प्लौट बने जिसका विवरण इस प्रकार है।

खाता सं0 8 प्लौट सं0 1534 रकबा 11डी0 खाता सं0 119 प्लौट सं0 1535, 1536, 1537, 1538 रकबा 43, 9, 13, 4डी0 कुल 80डी0 गत सर्वे के प्लौट सं0 619 का रकबा 84डी0 है।

अपीलार्थी ने प्लौट सं0 619 रकबा 18.75डी0 भूमि क्रय किये है जिसकी चौहदी उ0 नीज क्रेता वो शिवचन्द साव द0 हाल क्रेता मलुकी साव वगैरह पू0 रामअवध साव प0 नीज बिक्रेता उक्त चौहदी के तहत् वर्तमान सर्वे का प्लौट सं0 1534, 1535, 1536 एंव 1537 का पश्चित भाग है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3

जबकि प्रत्यर्थी ने प्लौट नं0 619 रकबा 11डी0 भूमि क्रय किये है उसकी चौहदी उ0 सुखाडी साव द0 नीज क्रेता पू0 नीज क्रेता प0 शोभनाथ साव वो मलुकी साव उक्त चौहदी में वर्तमान सर्वे का प्लौट नं0 1536, 1537, 1538 का पूर्वी भाग है जो प्रत्यर्थी का पूर्व की भूमि से सट हुए है जिसका पुराना प्लौट सं0 610 एवं नया प्लौट सं0 1539 है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन पूर्णतः दोषपूर्ण है जिसमें कोई गुण नहीं है इसलिए अपील खारिज करने की कृपा किया जाय। प्रत्यर्थी तीन तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी के विद्व अधिवक्ता के ओर से कोई साक्ष्य/कागजात दाखिल नहीं किये है।

उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल साक्ष्य/कागजातों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया कि अपीलार्थी के द्वारा पुराना प्लौट सं0 619 से नया प्लौट सं0 1534 रकबा 3.75डी0, प्लौट सं0 1535 रकबा 4डी0, प्लौट सं0 1536 रकबा 9डी0 प्लौट सं0 1537 रकबा 2डी0 कुल योग 18.75डी0 भूमि अपील आवेदन पत्र में अंकित है पुनः संशोधित अपील आवेदन पत्र में सिर्फ प्लौट सं0 1536 में रकबा 4डी0 भूमि अपील दायर किये है। अपीलार्थी द्वारा संलग्न अंचल अमीन द्वारा तैयार की गई ट्रेस नक्शा में गत सर्वे के प्लौट सं0 619 से नया प्लौट सं0 1535, 1537, 1536, 1534 रकबा 6डी0, 4डी0, 6डी0, 2.75डी0 कुल रकबा 18.75डी0 अमीन द्वारा अंकित किया गया है। अपीलार्थी के दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदक के कितनी भूमि पर दावी है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी केतार के नामांतरण वाद सं0 19R27/2019-20 में दिनांक 13.12.2019 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जाता है इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, केतार को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.13 11:40:03 +05:30
Location: 192.168.1.36

Scanned with CamScanner